



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128062

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 20802/2026

गुलशन उर्फ गोल् सिंहआवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यप्रत्यर्था(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : फैजुर रहमान

प्रत्यर्था(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन, पुलिस थाना- भोगनीपुर, जिला- कानपुर देहात के मुकदमा अपराध संख्या 112/2026, अन्तर्गत धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक की ओर से आगे तर्क दिया गया है कि गैंग चार्ट में आवेदक के विरुद्ध पांच वाद दर्शाए गए हैं और सभी वादों में आवेदक जमानत पर है। आवेदक 30.3.2026 से जेल में है।
4. उन्होंने आगे कहा कि प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट में, आवेदक के विरुद्ध लोक व्यवस्था को विक्षुब्ध करने और साथ ही अनुचित ऐहिक, आर्थिक, भौतिक या इसी प्रकार का अन्य लाभ प्राप्त करने के संबंध में लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं। आगे कहा कि अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत यथा उपबंधित "गैंग" (गिरोह) और "गैंगस्टर" शब्द की परिभाषा के दायरे में आने वाले किसी अभियुक्त की ओर से किए गए किसी कार्य या लोप से संबंधित आरोप के अभाव में, कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट पोषणीय नहीं है। वर्तमान वाद में, प्रथम सूचना रिपोर्ट लंबित आपराधिक वाद (वादों) पर आधारित है न कि समाज पर गंभीर प्रभाव डालने वाले किसी नए आरोप (आरोपों) या तथ्य (तथ्यों) की खोज पर, जिस उद्देश्य के लिए यह अधिनियम अधिनियमित किया गया था।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. उन्होंने यह भी कहा कि अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग प्रतिशोध लेने या नागरिकों को परेशान करने या डराने-धमकाने या राजनीतिक या अन्य मोर्चों पर हिसाब बराबर करने के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता है।
6. उन्होंने कहा कि इस वाद में, ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन ने अच्छा कार्य दिखाने या वाहवाही लूटने या सरकार या सत्तारूढ़ दल के उच्च अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया है, जो कि अनुचित है।
7. उन्होंने यह भी कहा कि वाद के तथ्यों को देखते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि आवेदक गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहने के दौरान वह कोई अपराध नहीं करेगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जमानत पर रहने के दौरान आवेदक कोई अपराध/अपराध कारित नहीं करेगा और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित करने का प्रयास करेगा।
8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक इस मामले में 30.3.2026 से जेल में सड़ रहा है और ऐसी कोई आशंका नहीं है कि यदि आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान की जाती है, तो वह विधि की प्रक्रिया से भाग सकता है या वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होगा, और साथ ही अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य/सामग्री इतनी सुदृढ़ नहीं है कि यह धारणा बनाई जा सके कि आवेदक गैंग चार्ट में उल्लिखित अपराधों का दोषी है।
9. इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत का अधिकारी है। जमानत पर मुक्त होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
10. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान करने की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि गैंग चार्ट में उल्लिखित वादों में आवेदक जमानत पर है। तथापि, उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक एक गिरोह का सदस्य है और अपराध करने का आदी है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह पुनः इसी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाएगा और अभियोजन पक्ष के गवाहों को डरा-धमका कर जमानत का दुरुपयोग करेगा।
11. उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) निम्नलिखित रूप में पठनीय है:-

"(4) संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का कोई भी अभियुक्त व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में है, तो जमानत पर या स्वयं के बंधपत्र पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि--

(क) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ख) जहाँ लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहाँ न्यायालय संतुष्ट न हो जाए कि यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।"

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



12. उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) के आलोक में, मैंने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री साक्ष्य, अपराध की प्रकृति जिसका गैंग-चार्ट में उल्लेख किया गया है और अभियुक्त-आवेदक की आपराधिक पृष्ठभूमि पर विचार किया है।
13. भारत संघ बनाम के.ए. नजीब, (2021) 3 एससीसी 713 में, कई निर्णयों में यह माना गया था कि संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता इसके सुरक्षात्मक दायरे में न केवल उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता को बल्कि न्याय तक पहुंच और त्वरित विचारण को भी शामिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी रिप्रेजेंटिंग अंडरट्रायल प्रिजनर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, यह माना गया था कि विचारणाधीन कैदियों को विचारण लंबित रहने के दौरान अनिश्चित काल के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। आदर्श रूप से, किसी भी व्यक्ति को उसके कार्यों के प्रतिकूल परिणाम तब तक नहीं भुगतने चाहिए जब तक कि एक तटस्थ मध्यस्थ के समक्ष उसे स्थापित न कर दिया जाए। तथापि, वास्तविक जीवन की व्यावहारिकताओं के कारण जहाँ एक प्रभावी विचारण सुनिश्चित करना और समाज के जोखिम को कम करना आवश्यक होता है, यदि विचारण लंबित रहने के दौरान किसी संभावित अपराधी को खुला छोड़ दिया जाता है, तो न्यायालयों को यह निर्णय लेने का कार्य सौंपा जाता है कि किसी व्यक्ति को विचारण लंबित रहने के दौरान रिहा किया जाना चाहिए या नहीं। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि समय पर विचारण संभव नहीं होगा और अभियुक्त ने एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए कारावास भुगत लिया है, तो न्यायालय आम तौर पर उन्हें जमानत पर मुक्त करने के लिए बाध्य होंगे।
14. पक्षों के उपर्युक्त तर्कों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश और दाता राम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, (2018) 3 एससीसी 22 एवं सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई. व अन्य, जो एस.एल.पी. (क्रिमिनल) संख्या 5191/2021 में पारित है, के मामलों में शीर्ष न्यायालय के सिद्धांत पर विचार करते हुए और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
15. आवेदक गुलशन उर्फ गोल जो उपर्युक्त अपराध में संलिप्त है, उसे संबंधित न्यायालय के संतोष के अधीन निम्नलिखित शर्तों के साथ उतनी ही धनराशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा कर दिया जाए कि :-
- (i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि न्यायालय में गवाहों की उपस्थिति के समय साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर वह कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।
- (ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकता है।
- (iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) वाद को शुरू करने, (2) आरोप विरचित करने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अन्तर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करे।

16. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

17 जून, 2026

कुमार मनीष

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"